

अनादेश है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। प्रकरण प्रथम दृष्टिया प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल एवं सिद्ध हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 21.2.2018 तक पाबन्द किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि इस आदेश के जारी होने में आपति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। हुक्मनामा जारी हो पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 21.2.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोक

21/2/18 पत्रावली रेकार्ड/पत्रावली में प्रार्थी की कानूनी
से सम्बन्धित पत्रावली/पत्रावली पत्रावली हेतु
दिनांक 8-3-18 को पेश हुआ है।

8/3/18 पी.ओ. राजस्व/पत्रावली/अन्य
पत्रावली से दिनांक 6-4-18

6/4/2018 पत्रावली पेश हुई ताकी हेतु दिनांक 20/4/2018
को पेश हो।

20/4/18 पत्रावली रेकार्ड/पत्रावली हेतु दिनांक 20/4/18
को पेश हो।

20/6/18 पत्रावली सा. लो. अ. कैंप सन्देश में रखने
से आज पेश हुई। पत्रावली को सुना गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली
सा. लो. अ. की भावना से निर्दिष्ट की

जाती हैं। निर्णय शा० पत्रावली है। पत्रावली निर्णित -
शुमार लेकर दफ्तर हाकिल है।

निर्णय शा० पत्रावली
शुमार लेकर दफ्तर हाकिल है।

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]